

न्यायालय :- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 58 / 2014 वैवाहिक  
संस्थित दिनांक 5-09-2014

गुरुजीतसिंह आयु 21 साल पुत्र बाबूसिंह जाति  
जाटव निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----याचिकाकर्ता / आवेदक

**बनाम**

श्रीमती सरस्वती उर्फ गिरजादेवी आयु 25 साल  
पत्नी गुरुजीत सिंह पुत्री रामसेवक जाति जाटव  
निवासी ग्राम आलौरी तहसील गोहद हाल  
निवासी खेडा थाना बिजौली तहसील व जिला  
ग्वालियर म0प्र0

-----गैरयाचिका कर्ता / अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री जी0एस0निगम अधिवक्ता  
अनावेदिका द्वारा श्री रमेश यादव अधिवक्ता।

//नि र्ण य//  
// आज दिनांक 10-08-2016 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें उसके द्वारा अनावेदिका/गैरयाचिका कर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है से दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. यह अविवादित है कि आवेदक के साथ अनावेदिका का विवाह 28 जून 2012

को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम खेरा थाना बिजौली तहसील ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था । विवाह के पश्चात् अनावेदिका आवेदक के साथ ग्राम आलोरी थाना गोहद में उसके विवाहिता पत्नी के रूप में रहीं । इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है ।

03. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदक की शादी अनावेदिका के साथ दिनांक 28 जून 2012 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम खेडा थाना बिजौली तहसील व जिला ग्वालियर में विधिवत् सम्पन्न हुआ था तभी से अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है । आवेदक शादी के समय नाबालिग था और अनावेदिका के पिता ने उसके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसकी शादी अनावेदिका के साथ कर दी । अनावेदिका का पिता को यह जानकारी थी कि उसकी पुत्री असाध्य रोग ब्लड कैंसर से पीड़ित थी जिसकी जानकारी उसे व उसके परिवार को नहीं होने दी । आवेदक एवं अनावेदिका के दाम्पत्य जीवन से वर्ष 2014 में एक पुत्री आयु 4 माह को जन्म दिया जो अनावेदिका के पास ही है । अनावेदिका के माता पिता काफी लालची प्रवृत्ति के हैं तथा जब से शादी हुयी है तभी उस आवेदक से 3,4 बार रुपये उधार लिये हैं जो वापिस नहीं करते हैं । आज से 4 माह पहिले अनावेदिका के उसके घर पुत्री का जन्म हुआ जिसके चोक के दूसरे दिन 12-4-14 को ससुर रामसेवक, मौसी, सास अनावेदिका को लेकर चलने लगे तब उसने व उसके परिवार ने काफी मना किया कि बच्ची अभी छोटी है और अनावेदिका की भी हालत ठीक नहीं है बाद में ले जाना, किन्तु अनावेदिका के माता पिता नहीं माने और अनावेदिका को संपूर्ण जेबर व छोटी बच्ची को लेकर चले गये । शादी के बाद आवेदक को अनावेदिका के ब्लड कैंसर की बीमारी का पता चला तो पिछले वर्ष दिल्ली में जाकर लगभग दो वर्ष तक निरन्तर इलाज कराया जिसमें करीब तीन लाख रुपये खर्च हुये । अनावेदिका के चले जाने के बाद आवेदक 8 दिन बाद अपनी ससुराल ग्राम खेड गया किन्तु अनावेदिका के परिवार वालों ने उसे भेजने से मना कर दिया । उसके बाद आवेदक दिनांक 20-4-14 को अनावेदिका को लेने गया तब भी नहीं भेजी । उसके उपरांत दिनांक 25-5-14 को गया तो आवेदक को भद्दी भद्दी गालियां देकर मारपीट कर भगा दिया और कहा कि 20000/- रुपये की आवश्यकता है जबतक 20000/- रुपये नहीं लाओगे तब तक वह अनावेदिका को नहीं भेजेंगे । आवेदक दिनांक 10-6-14 को अन्तिम बार अपने पिता, चाचा के साथ गया और ग्राम खेडा के लोगों को एकत्रित करके पंचायत के तौर पर बातचीत की किन्तु अनावेदिका के परिवार वालों ने भेजने से मना कर दिया तथा अनावेदिका ने आवेदक के साथ रहने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार अनावेदिका आवेदक को दाम्पत्य सुखों से बंचित किये हुये हैं और अपने माता पिता के कहने से आवेदक के साथ रहना नहीं चाहती । आवेदक वर्तमान में ग्राम

आलोरी थाना व तहसील गोहद में निवास कर रहा है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदिका के द्वारा आवेदक के आवेदन का जबाब प्रस्तुत करते हुए उसके स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों को इंकार करते हुए बताया है कि आवेदक एवं उसके पिता की मर्जी से आवेदक एवं उसकी शादी हुयी थी । अनावेदिका शादी के समय पूर्णतः स्वस्थ थी कोई बीमारी नहीं थी । आवेदक एवं उसके पिता काफी लालची प्रवृत्ति के हैं । आवेदक माता पिता तथा उसका भाई विजय व वहन भारती, लक्ष्मी अनावेदिका के जबसे लडकी पैदा हुयी तभी से दहेज में 50000/-रुपये नगद एवं एक मोटरसायकिल की मांग करते हैं एवं अनावेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते हैं और मारपीट कर घर से भी निकाल दिया था । अनावेदिका की बच्ची पैदा होने के बाद आवेदक के द्वारा उसे घर से मारपीट कर निकाल दिया गया था जो कि इस संबंध में उसके पिता के द्वारा उसे रास्ते में रोते हुये देखा भी गया था और उसकी रिपोर्ट पुलिस को भी की गयी थी । पुत्री पैदा होने के बाद अनावेदिका बीमार हो गयी जिसका कि ईलाज उसके माता पिता के द्वारा दिल्ली के अस्पताल में कराया गया ।

05. इसके अतिरिक्त अनावेदिका के द्वारा अपने अभिवचन में यह भी बताया गया है कि आवेदक जब भी अपनी ससुराल आता था तब वह अनावेदिका के माता पिता से पैसे उधार मांगता था जो अनावेदिका के पिता उसे दे देते थे लेकिन उक्त रुपये आवेदक ने आजतक नहीं लोटाये । अनावेदिका के पुत्री पैदा होने के एक माह बाद आवेदक ने अनावेदिका के घर आकर अनावेदिका के पिता से 15000/- रुपये की मांग की थी जो अनावेदिका के पिता ने मना करने पर आवेदक ने अपने हाथ में स्वयं कट्टा से गोली मारली थी जो कि अनावेदिका के पिता को फसाने के लिये एवं पैसा बसूलने के लिये आवेदक ने उक्त कृत्य किया था । अनावेदिका के पिता ने थाने में रिपोर्ट की तब पुलिस आई और पूछताछ की जिसका कि प्रकरण आवेदक के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ जो न्यायालय में विचाराधीन है । आवेदक के द्वारा परेशान एवं प्रताडित किये जाने के फलस्वरूप अनावेदिका उससे पृथक रह रही है और वह अस्वस्थ हो गयी है । यदि आवेदक उसे परेशान व प्रताडित न करे और ठीक से रखे तो वह आवेदक के साथ रहने को तैयार है । ऐसी दशा में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

06. आवेदक एवं अनावेदिका के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी :-

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ बिना युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के साथ रहने से इन्कार किया जा रहा है ?	
2	क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा गया है ?	
3	क्या आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का अधिकारी है ?	
4	सहायता एवं व्यय ?	

—::सकारण निष्कर्ष::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 :-

07. आवेदक गुरुजीत सिंह आवेदिका साक्षी कं01 ने अपने साक्ष्य कथन में अनावेदिका के साथ 2012 में उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होना । विवाह के पूर्व ही आवेदिका ब्लड कैंसर की बीमारी पीडित होना जो कि उसके पिता के द्वारा उसे बिना बताये आवेदक के साथ अनावेदिका का विवाह कर देना और आवेदक के द्वारा बीमारी का पता चलने पर अनावेदिका का ईलाज करवाना बताया है । आवेदक ने यह भी



कथन किया है कि वह आवेदिका को उसकी बीमारी के पश्चात् अपने साथ रखने के लिये तैयार है और वह उसे अपने साथ रखना चाहता है। अनावेदिका वर्ष 2014 से अपने पिता के यहां निवास कर रही है वह कई बार उसे लेने गया तो अनावेदिका के माता पिता के द्वारा गालियां देकर उसे भगा दिया गया। दिनांक 10-6-14 को अन्तिम बार वह अनावेदिका को लेने अपनी ससुराल गया तो अनावेदिका के पिता ने भेजने से इन्कार कर दिया। अनावेदिका के बीमारी के ईलाज के संबंध में मेडिकल पर्चे प्र0पी0 1 लगायत प्र0पी0 29 पेश किये हैं।

08. उपरोक्त संबंध में आवेदक साक्षी बाबूराम अ0सा02 जो कि आवेदक गुरुजीत का पिता है के द्वारा भी विवाह के समय अनावेदिका के पिता ने अनावेदिका के ब्लड कैंसर होने की जानकारी न देना और अनावेदिका का ईलाज उसकी शादी के बाद ग्वालियर एवं एम्स अस्पताल दिल्ली में कराया जाना जिसमें कि तीन लाख रुपये खर्च होना बताया है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि वर्ष 2014 से अनावेदिका अपने पिता के घर पर रह रही है उसके पुत्र के साथ नहीं रह रही है। अनावेदिका को लेने के लिये दिनांक 10-6-14 को गये थे किन्तु गाली गलोच कर उन्हें भगा दिया गया और अनावेदिका ने आने से इन्कार कर दिया। इस संबंध में अन्य आवेदक साक्षी मुरारी लाल अ0सा03 के द्वारा भी अनावेदिका के वर्ष 2014 से अपने माता पिता के यहां रहना और आवेदक के लेने के लिये जाने पर आने से मना करना अपने साक्ष्य कथन में बताया है।

09. अनावेदिका श्रीमती सरस्वती अना0सा01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि, शादी के समय वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। शादी के पश्चात् जब वह ससुराल गयी तो ससुराल में आवेदक एवं उसके पिता मां वहन ने दहेज में पचास हजार रुपये और मोटरसायकिल की मांग को लेकर उसे परेशान व प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा प्रताड़ित करने के फलस्वरूप वह बीमार हो गयी थी और उसका ईलाज उसके पिता व मां ने दिल्ली में कराया था। आवेदक ने उसके मायके से उधारी में रुपये भी मांगे थे उसके पिता के द्वारा रुपये न देने के कारण आवेदक ने अपने हाथ में उसके पिता को फसाने के उद्देश्य से स्वयं कट्टे से गोली मार ली थी। इसी प्रकार का कथन साक्षी रामसेवक अनावेदक साक्षी कं02 जो कि अनावेदिका का पिता है के द्वारा भी करते हुये विवाह के उपरान्त आवेदक और उसके परिवार वालों के द्वारा अनावेदिका से दहेज की मांग कर परेशान और प्रताड़ित करना तथा आवेदक के द्वारा स्वयं कट्टे से अपने हाथ में गोली मारना बताया है।

10. अनावेदिका के द्वारा आवेदक से पृथक रहने हेतु जो कारण बताये जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से उसके द्वारा आवेदक और उसके परिवार वालों के द्वारा विवाह के पश्चात्

दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान व प्रताड़ित करना जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना बताया है और इसके अतिरिक्त आवेदक से डर और भय होना जो कि आवेदक के द्वारा स्वयं कट्टे से उसके मायके में अपने हाथ में गोली मार लेना बताया है, जिससे कि वह आवेदक से भयभीत होना उसके द्वारा बताया जा रहा है ।

11. आवेदक एवं उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर अनावेदिका को प्रताड़ित करने के संबंध में जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में दहेज की मांग के संबंध में कि कोई मांग की गयी थी या नहीं की जानकारी अनावेदिका उसे न होकर उसके घर वालों को होना अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बतायी है । उसके साथ मारपीट करने के संबंध में कोई भी रिपोर्ट उसके द्वारा कहीं नहीं करना भी उसके द्वारा स्वीकार किया गया है । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक व उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान व प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कोई भी रिपोर्ट अनावेदिका व उसके पिता के द्वारा कहीं भी नहीं की गयी है । यद्यपि इस संबंध में अनावेदिका के पिता रामसेवक के द्वारा आवेदक गुरुजीत के द्वारा उसकी मारपीट करने के संबंध में प्रतिपरीक्षण में बता रहा है, किन्तु इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रकरण में पेश नहीं की गयी है । इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक व उसके परिवार वालों के द्वारा अनावेदिका से दहेज की मांग को लेकर अथवा इस संबंध में किसी प्रकार से परेशान व प्रताड़ित किये जाने के संबंध में प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य से कोई पुष्टि नहीं होती । अनावेदिका के बीमारी के संबंध में ईलाज चलने के बाबत स्वयं आवेदक के द्वारा प्र0पी0 1 लगायत प्र0पी0 29 तक के दस्तावेज पेश किये गये हैं । उक्त दस्तावेजों से अनावेदिका का ईलाज चलने का पता चलता है किन्तु अनावेदिका को दहेज की मांग को लेकर या अन्य प्रकार से आवेदक के द्वारा प्रताड़ित किये जाने के फलस्वरूप वह बीमार हुयी हो ऐसा कोई निष्कर्ष उक्त आधार पर नहीं निकाला जा सकता ।

12. अनावेदिका के द्वारा आवेदक से पृथक् रहने हेतु जो अन्य आधार कि आवेदक के द्वारा स्वयं अपने हाथ में कट्टा मार लिया है और इस कारण वह आवेदक से भयभीत है का जहां तक प्रश्न है इस बिन्दु पर यह उल्लेखनीय है कि स्वयं आवेदक गुरुजीत आवेदक साक्षी कं01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके उपर अपने हाथ से स्वयं कट्टे से चोट मारने के संबंध में पुलिस ने प्रकरण चलाया है । इस बात को भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे हाथ में कट्टा मारने के लिये जांच उपरांत आरोपी बनाया है । इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी और ससुर को पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है । उसके द्वारा अपने हाथ में स्वयं कट्टा मारने का प्रकरण उसके विरुद्ध चल रहा है । आवेदक के पिता बाबूराम आवेदक साक्षी कं02

के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके लडके आवेदक ने अपने ससुराल में करीब डेढ़ साल पहले अपने हाथ में स्वयं कट्टे से गोली मारली थी और इस संबंध में उसपर प्रकरण न्यायालय में चल रहा है । इस संबंध में यद्यपि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी मुरारीलाल आवेदक गुरुजीत के द्वारा स्वयं अपने हाथ से गोली मारने की बात को स्वीकार किया है । स्वतः में बताया है कि अनावेदिका के मां बाप ने गोली मारी थी, किन्तु आवेदक स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि उसने स्वयं अपने हाथ से कट्टे से गोली मारी थी । उक्त साक्षी के द्वारा इस संबंध में किया गया कथन उक्त साक्षी की विश्वसनीयता प्रतिकूलित होती है ।

13. इस प्रकार अनावेदिका के द्वारा लिया गया यह आधार कि आवेदक ने कट्टे से स्वयं को गोली मारलिया गया था, इस संबंध में स्वयं आवेदक की उपरोक्त स्वीकारोक्ती के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि आवेदक के द्वारा अपनी ससुराल में कट्टे से अपने हाथ पर गोली मारली गयी थी जिस संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है । निश्चित तौर से अनावेदिका जो कि उसके पति आवेदक के द्वारा स्वयं अपने हाथ में कट्टे से गोली मार लेने के कारण उससे भयभीत होना बता रही है और अपने साक्ष्य कथन में भी कण्डिका 4 में स्पष्ट कहा है कि आवेदक ने अपने हाथ में गोली मारली थी वह उसे भी मार सकता है और यह भी स्पष्ट किया है कि वह आवेदक के साथ जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे आवेदक से डर लगता है । इस संबंध में अनावेदिका का आवेदक से डर अथवा भय निर्मूल होना नहीं कहा जा सकता । आवेदक जो कि स्वयं अनावेदिका के घर पर स्वयं को कट्टे से गोली मार सकता है तो इस आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उसके उक्त कृत्य के कारण अनावेदिका उसके साथ रहने में असुरक्षित महसूस कर रही है और इसी कारण वह उससे अलग रहने में ही अपनी भलाई समझ रही है ।

14. इस प्रकार स्वयं आवेदक के व्यवहार से जो कि अनावेदिका आवेदक के साथ रहने में असुरक्षित महसूस किया जा रहा है, जिसका कि समुचित एवं युक्ति युक्त कारण मौजूद होना पाया जाता है, यदि उक्त कारण से अनावेदिका आवेदक से पृथक रह रही है तो वह उसके पृथक रहने के लिये युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण है । तदनुसार वर्तमान बिन्दु के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ बिना युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के साथ रहने से इन्कार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके इन्कार करने का युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण है । तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक -2:-

15. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वादप्रश्न पर निकाले गये निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि आवेदक के साथ रहने में वह अपने जीवन के लिये असुरक्षित महसूस कर रही है जो कि उसके असुरक्षित महसूस करने हेतु पर्याप्त कारण होना पाये गये हैं । अनावेदिका के द्वारा आवेदक को जानबूझकर उसका परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा गया है ऐसा भी मानने का कोई आधार अथवा कारण प्रमाणित नहीं होता है । तदनुसार अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखे जाने का बिन्दु प्रमाणित नहीं होता । वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक -3:-

16. न्यायालय के द्वारा दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना कराने की डिक्री प्रदान करने के पूर्व यह देखना होता है कि, क्या कोई एक पक्ष बिना युक्ति युक्त कारण के अलग निवास कर रहा है तथा आवेदनपत्र में जो कथन किये गये हैं वह सत्य है तथा कोई वैधानिक आधार नहीं है जिसके कारण दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना या डिक्री प्रदान करने से रोका जाये । इस प्रकार न्यायालय को यह सन्तुष्टि होना आवश्यक है कि, इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिये कोई वैधानिक आधार विद्यमान हैं या नहीं । ?

17. वर्तमान प्रकरण का जहां तक प्रश्न है प्रकरण में अनावेदिका के द्वारा आवेदक से पृथक रहने का जो आधार एवं कारण बताया गया है वह आधार एवं कारण समुचित होना पाये गये हैं । आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना कराये जाने की डिक्री प्रदान किये जाने का कोई आधार उक्त परिप्रेक्ष्य में मौजूद होना नहीं पाया जाता । इस प्रकार आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने की डिक्री पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता । तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

#### सहायता एवं व्यय :-

18. प्रकरण में उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तथा वाद बिन्दुओं पर निकाले गये निष्कर्ष के आलोक में आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना की डिक्री पाने का अधिकारी न होना पाया जाता है ।

19. अतः याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम वास्ते वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना स्वीकार योग्य न होने से



सव्यय निरस्त की जाती है ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद  
जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद  
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)